

वेंडर्स के लिए सामान्य नियम और शर्तें:

General Conditions for Venders:

REGIONAL OFFICE – Ahmedabad , invite tender from Central Office approved empanelled vendors and local approved vendors for CCTV under OPEX Model (Rental basis) on required basis} FOR BRANCHES OF AHMEDBAD REGION.

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद ओपेक्स मॉडल (किरायाधारित) के तहत सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना हेतु (जरूरत के आधार पर) केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित पैनल विक्रेताओं व स्थानीय विक्रेताओं से आर. एफ. क्यू. आमंत्रित करता है।

1. सामान्य शर्तों की स्वीकृति / ACCEPTANCE OF GENERAL CONDITIONS AND,
2. वित्तीय बोली/Financial Bid.

1. सामान्य शर्तें / GENERAL CONDITIONS :-

1. हमारे केन्द्रीय कार्यालय के अनुसार /साथ सहमति के अनुरूप समस्त नियम और समझौते लागू होंगे.
- 1.All terms and agreements, as per / as agreed with our Central Office, would be applicable.
- 2.बैंक बिना कोई कारण बताए एक या सभी आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
- 2.Bank reserves the right to accept/reject one or all application/s without assigning any reason.
- 3.वेंडर/सेवा प्रदाता की विफलता के परिणाम स्वरूप होने वाली चूक/भूल, उल्लंघनों, दावों, मांग, देनदारियों, कार्यवाही, हानि, चोट क्षतिपूर्ति खर्च आदि के लिए, और जिसके लिए बैंक को किसी भी अधिनियमों/नियमों के तहत अपना दायित्व पूरा करने के लिये बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और यदि किसी भी अधिनियम /नियम के तहत जिसके लिए बैंक को जिम्मेदार एवं लिप्त किया जाएगा,ऐसी परिस्थिति में वेंडर को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी
- 3.The Vendor / Service Provider shall keep the Bank indemnified from all acts of omission / commission, faults, breaches, claims, demands, liabilities,proceedings, loss, injury, compensation and expenses to which the Bank may be put to / involved as a result of the failure of the Vendor/service Provider to fulfill any of its obligation under Acts / Rules. In such cases all the expenses/ costs or any form of penalty will be borne by the vendor.
- 4.आदेश की तिथि से 7- दिनों के अंदर ही इन्स्टोलेशन करना होगा, जब कभी भी आदेश दिया जाएगा।
- 4.Installation must be carried out within the given period of-7- days- from the date of order,as and when order is placed.
5. किरायाधारित सीसीटीवी सिस्टम का किराया तिमाही समाप्ति के उपरांत तिमाही आधार पर किया जाएगा.
- 5.Payment for rent for CCTV , OPEX MODEL(rental basis) will be paid on quarterly basis after completion of quarter.
- 6.यह वेंडर की ज़िम्मेदारी होगी की किराया अवधि के दौरान यदि कोई सीसीटीवी खराब हो जाता है तो वह बिना किसी खर्च का बोझ बैंक पर डाले उसे ठीक कराएगा।
6. The vendor must have to undertake to change faulty parts/ cctv at no cost to the bank within the rental period.
7. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पार्टी आपस में बैठ कर सुलझाईंगे और यदि विवाद का निबटारा आपस में नहीं सुलझता है तो न्याय सीमा अहमदाबाद क्षेत्र होगा।
7. ANY DISPUTE WILL BE RESOLVED AMICABLY, IF NOT RESOLVED AMICABLY THEN WITHIN AHMEDBAD JURISDICTION ONLY .
8. Bank reserve the right to cancel the agreement by giving one month notice.

8. बैंक को ये अधिकार होगा की वह किसी भी समय अनुबंध को, एक महीने की सूचना देकर, खत्म कर सकता

9. कार्य का क्षेत्र **अहमदाबाद क्षेत्र की सम्पूर्ण शाखाएं** होंगी. (लगभग- शाखाएं)

9. Area / scope of work will be entire Branches of Ahmedabad Region

10. वेंडर को दस्तावेज़ प्रत्येक पन्ने पर मोहर लगाना व हस्ताक्षर करना होगा

10. Vendor has to affix seal and sign on each and every page of all the documents.

11. वेंडर को अपने कार्यालय या सेवा प्रदाता कार्यालय का पता अपने पत्रशीर्ष पर मोहर लगाकर व हस्ताक्षर कर के शर्तों की स्वीकृति के लिफाफे के साथ देना होगा।

11. Vendor is required to give its service / office address on its letter head with seal and sign along with acceptance of general conditions.

12. वेंडर के द्वारा दी गई सभी दरें कर के अलावा होंगी।

12. All the rates quoted will be exclusive of taxes.

13. किसी भी प्रकार की काँट छाँट / अधिलेखन, किसी भी पन्ने पर मान्य नहीं होगा

13. There should not be any cutting / over writing.

14. टेंडर का मूल्य ३००/- रुपए (तीन सौ रुपए) होगा जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - क्षेत्रीय कार्यालय **अहमदाबाद** के नाम पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा से देय होगा। ड्राफ्ट लिफाफा -1 के साथ संलग्न करे।

14. Cost of the tender document will be Rs. 500/- (THREE HUNDRED), the payments shall be through BANK DRAFT (DD), in the name of REGIONAL MANAGER, CENTRAL BANK OF INDIA-REGIONAL OFFICE AHMEDABAD ALONG WITH GENERAL TERMS AND CONDITIONS. (IN THE ENVELOP NO.-1)

15. वेंडर को ये प्रमाण पत्र देना होगा की जो भी उत्पाद वह बैंक में लगाएगा वो सभी, भारतीय मानक मापदंडों / आर .बी.आई./यू.एल/ई.एन, एफ़् सी° सी°, सी° व सी° ई° .इत्यादि द्वारा मानक मापदंडों के अनुरूप होंगे।

15. PRODUCT CERTIFICATION. All the product should have certification, as the case may be, of quality given by Bureau of Indian Standard BIS/RBI OR UL,EN,FCC,CE and tested at Electronic regional test laboratory or any other industry recognised certification as applicable (IF APPLICABLE).

16. वेंडर के कर्मचारी को अपनी कंपनी का कार्ड, शाखा या कार्यालय में जाने पर बैंक के कर्मचारी को दिखाना होगा। और वह अपना कार्य बैंक के अधिकारी की अनुमति के बाद ही शुरू करेगा।

16. Whenever any employee of the vendor is visiting any branch/ office, he has to show his identity card issued by his company. And in no case he will start his work without prior permission from branch / office's official.

17. सभी प्रकार के बिल का भुगतान वेंडर को ही दिया जाएगा और उसके लिए वेंडर को अपना जीएसटी नंबर की प्रति देनी होगी

17. All the payments will be made on the name of vendor, to whom work order is given and vendor has to give photocopy of GST NO by affixing sign and seal of company.

18. किसी भी प्रकार की शिकायत का निबटारा, शिकायत करने के समय से 24 घंटे के अंदर करना होगा जिसके अंदर नए पुर्जे को बदलना भी होगा। और यदि किसी भी सरकारी मशीनरी को, किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो उसको तुरंत मुहैया करना होगा। जिसके लिए 800 रुपए का भुगतान संबन्धित शाखा द्वारा किया जाएगा।

18. ANY COMPLAINT MUST BE RESOLVED WITHIN 24 HOURS ONLY. AND ANY RETRIVAL OF DATA REQUIRED BY CIVIL / POLICE AUTHORITY IS TO BE PROVIDED T (reporting time) + NEEDED HOURS FOR WHICH PENDRIVE / DVD/ CD WILL BE PROVIDED BY THE CONCERNED BRANCH AND A PAYMENT OF Rs. 800 will be made by the respective Branch.

19. यदि वेंडर शिकायत का निबटारा 24 घंटे के अंदर नहीं करता है तो बैंक शिकायत को स्वयं ठीक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किया हुआ खर्च वेंडर से वसूल किया जाएगा लेकिन यदि ये क्रिया बार बार घटित होती है तो बैंक के द्वारा वेंडर से किया हुआ करार रद्द कर देगा।

19. If vendor is unable to resolve any complain within 24 hours, bank reserves the right to resolve the complaint at its own and all the expenditure incurred on the same will be recovered from the vender. If this happens repeatedly then bank may cancel the agreement without giving any prior notice.

20. कर का भुगतान हमारे केंद्रीय कार्यालयके दिशा निर्देश के अनुसार होगा ।

20. PAYMENTS FOR TAXES WILL BE MADE AS PER GOVT. GUIDELINES.

21. किसी शाखा के अंदर ओपेक्स मॉडल (किरायाधारित) के तहत सीसीटीवी लगाना होगा तो वेंडर को दिये हुए नमूने के अनुसार दो दरे देनी होंगी, जिसकी वैद्यता हमारे कार्यालय के आदेश अनुसार (तीन वर्ष या पाँच) वर्ष होगा।

21. All the rates are quoted for rental BASIS, WHICH WILL BE VALID FOR EITHER THREE YEAR OR FIVE YEAR AS PER THE WORK ORDER ONLY.

22. वेंडर द्वारा 90 दिनों के अंतराल पर, एक वर्ष में कम से कम चार दौरा करना होगा। ये दौरा शिकायतों के निवारण हेतु किए गए दौरा के अलावा होगा ।

22. Vender has to make minimum four visits in a year at an interval of 90 days in addition to visit made for any complaint.

23. वेंडर को प्रत्येक तिमाही दौरा रिपोर्ट की एक प्रती क्षेत्रीय कार्यालय **अहमदाबाद** को देनी होगी और जिस पर सभी शाखा प्रबन्धको के हस्ताक्षर व शाखा की मोहर होनी चाहिए ।

23. Vendor has to submit the quarterly visit of the Branches to regional Office – Ahmedabad (under the seal and sign of respective Branch).

24. यदि किसी आपदा (प्राकृतिक/ मानव निर्मित) कारण सीसीटीवी का नुकसान होता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

24. Bank will not be responsible for damage caused due to any type of disaster (natural / man made).

25. वेंडर को ये सुनिश्चित करना होगा की सीसीटीवी का डाटा प्रयोग्य का होना चाहिए। जिसको वेंडर हमेशा चेक करेगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है की सीसीटीवी का पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है तो वेंडर को इसको ठीक करना होगा।

25. It must be ensured by the vendor at all times that quality of the picture/ any form of data must be of qualitative and usable.

26. वेंडर को ये सुनिश्चित करना है की वियरिंग बढ़िया गुणवत्ता, ख्याति कंपनी वाली होनी चाहिए और इसको पाइप / पट्टी के अंदर से लेना होगा।

26. Wiring should be of Reputed Company, good quality and it will be concealed in conduit pipe.

27. वेंडर को वापसी खरीद के लिए भी दर देनी होगी जिस भी शाखा के सिस्टम को किरायाधारित के ऊपर जाना है लेकिन ये उसी अवस्था में होगा जिसका सिस्टम (ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक करने के लिए व्यय ज्यादा मात्रा में है या किसी को अपग्रेडेशन करना है जिसकी मात्रा नगण्य होगी (पाँच से ज्यादा नहीं होगा और वो किरायाधारित से अलग होगा)।

27. VENDOR has to quote the rate for buy back, if any system is converted from CAPEX TO OPEX model, which will be based on economic viability (GADGET IS BEYOND REPAIR OR REPAIRE COST IS EXORBITANT OR UPGRADATION) only, which will be a few (not more than five).

28. जिस वेंडर की शाखा / कार्यालय / सेवा केंद्र गुजरात में स्थित होगा, उस वेंडर को प्राथमिकता दी जाएगी और इस संबंध में **अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय व्यय समिती** का निर्णय अंतिम होगा।

28. Vendor having its Branch /Office / Service center in GUJRAT will be given preference and decision of ROEC (Regional Office Expenditure committee) will be final in this regards.

29. यदि किसी शब्द या बिन्दु पर कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी विवरण मान्य रहेगा।

29. In the event of any dispute regarding interpretation of any word/ point, the English version will prevail.

30. किसी भी शिकायत पर 72 घंटे (अवकाश को छोड़कर) के अंदर विचार किया जाए. यदि शिकायत दर्ज होने की तारीख से 7 दिनों तक उपकरण खराब रहता है, तो आपको 15 दिनों के किराए को छोड़ना होगा, और यदि यह लगातार 10 दिनों तक या एक महीने में कई बार खराब रहता है तो आपको उपकरण का पूरे महीने के किराए का भुगतान नहीं किया जाएगा. बिल के भुगतान से यह कटौती की जाएगी.

30. Any complaint to be attended with 72 hours (excluding holidays). If the equipment remains defective for 7 days from the date of lodgement of complaint, you will be liable to forego rent for 15 days and if it remains defective for 10 days continuously or in parts in a month then you will not be paid rent of the equipment for full month. Deduction will be made from the Bill for payment.

31. किसी भी प्रकार की चोरी / आग अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उपकरण की टूट फूट के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

31. Bank will not responsible for damage of items due to theft/fire or any natural calamities

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ Authorised Signatory

हस्ताक्षर/Signature

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **का नाम** / Name of Authorized Signatory

संपर्क नंबर / Contact No. (LL)_____

मोबाइल नंबर / Mobile No._____

कंपनी की मोहर एवं हस्ताक्षर
(SEAL AND SIGN OF COMPANY)